


10.11.22

BT

पत्रावली पेश। वादी अधिवक्ता (उपस्थित) उपस्थित होने हेतु न्यायालय के बाहर रोक-रोक कर तीन बार आवाज लगाई गई, कोई उपस्थित नहीं। पत्रावली के तमाम वादी अधिवक्ता गंभीर नहीं। पत्रावली अदालत लाजही अदालत पीरवी में खारीज की जाती है।

पत्रावली फैसला सुनाने के लिए न्यायालय से रुक कर आकर वापिस निकलने दी।

  
 सहायक कलेक्टर  
 (S. D. O.) रेवड़ा